

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गडरारोड़, जिला बाड़मेर,
पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार-1

राजस्व वाद सं. 84/2024

अन्तर्गत धारा 88, 89 RT Act.

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह, जाति-राजपूत, नि० झिंझनियाली, तह० फतेहगढ़ जिला जैसलमेर		राजस्थान राज्य जरिये तह० गडरारोड़, जिला बाड़मेर

उपस्थित :- 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी वकील वादीनी
2. राज पेरोकार तहसीलदार गडरारोड़
निर्णय


दिनांक :- 14/10/24

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी का खातेदारी खेत मौजा-केलनली, पटवार मण्डल-गिराब, तह० गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 749/603 रकबा 12.1406 हैक्टेयर का आया हुआ है। वदीनी द्वारा जरिये विक्रय विलेख क्रय की है और उस समय घर पर सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले नामों को उस पंजीबद्ध दस्तावेज में दर्ज करवा दिया और उसे पंजीबद्ध दस्तावेज अनुसार जो नामान्तरण खोले गये उसमें वादीनी का नाम चन्द्रकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह दर्ज हो गया। जबकि वादीनी के अन्य सभी दस्तावेजों में यथा आधारकार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, पेन कार्ड में वादीनी का नाम हिम्मत कंवर दर्ज है। वदीनी अपने अन्य सरकारी दस्तावेजों के समरूप राजस्व रैकर्ड में अपना सही नाम हिम्मत कंवर घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार गडरारोड़ ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा-केलनली के खसरा नम्बर 749/603 रकबा 12.1406 हैक्टेयर में राजस्व रिकॉर्ड में चन्द्रकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह से हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह किए जाने से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण मोतबरानों तथा अन्य मौजूज लोगों से पूछताछ के आधार पर काश्तकार चन्द्र कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह से हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह नाम दर्ज किया जाना उचित है।


वादीनी वकील की बहस में उल्लेखित तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम चन्द्रकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह के स्थान पर हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह घोषित किया जाना उचित बताया है।

हमने वादीनी अधिवक्ता की बहस पर मनन व तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत अन्य समस्त दस्तावेजात में उसका नाम हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह दर्ज किन्तु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम भूलवश चन्द्रकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह के स्थान पर हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह दर्ज होना पाया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रस्तुत जवाब भी वादीनी का वास्तविक नाम हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह होना,


सहायक कलक्टर

लिपिकीय त्रुटि से भूलवश उसका नाम चंद्रकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह दर्ज होना साबित है। मौखिक साक्ष्य स्वरूप गवाह के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वादीनी का वास्तविक नाम हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज नाम चंद्रकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह के स्थान पर हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम केलनली, पटवार मण्डल-गिराब, तह0 गडरारोड़ के खसरा नम्बर 749/603 रकबा 12.1406 हैक्टैयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीनी का नाम चंद्रकंवर पत्नी पृथ्वीसिंह के स्थान पर हिम्मत कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।


सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाँसगाँव

निर्णय आज दिनांक 14/10/21 को सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
गडरारोड़, जिला बाँसगाँव